

## कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

पत्रांक: ०४ / आ०लि० / 2023-24


दिनांक: ०५ अप्रैल, 2024

प्रबन्धक,  
स्प्रिंगडेल कॉलेज,  
पीलीभीत।

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-11-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्प्रिंगडेल कॉलेज, पीलीभीत के भवन का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (एन०बी०सी०) उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपके उक्त सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के क्रम में शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड से विद्यालय का निरीक्षण कराकर एनबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में उनके द्वारा सर्शत प्रमाण-पत्र प्रेषित किया गया है। अतः उनके द्वारा प्रदत्त नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 का प्रमाण पत्र मूल रूप में शर्तों के अधीन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

  
(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)  
मुख्य विकास अधिकारी,  
पीलीभीत।

पृष्ठांकनसंख्या: \_\_\_\_\_ / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य विकास अधिकारी,  
पीलीभीत।


## प्रमाण पत्र

मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत के पत्राक-525/आ.लि./2023-24 दिनांक-30.11.2023 द्वारा प्रबन्धक स्प्रिंगडेल कॉलेज, जिला पीलीभीत का नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि विद्यालय का निर्माण कार्य Structure Design/Execution of work as per Structure Safety Requirement Planning Drawing संलग्न इंजीनियर श्री राजीब सक्सेना B-Tech (Civil) Address Near B.O.B., Madhinath, Bareilly द्वारा उनकी देखरेख में भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुरूप किया गया है। अतः विद्यालय भवन स्ट्रक्चर की पूर्ण जिम्मेदारी उपरोक्त प्रमाण पत्र देने वालो एवं विद्यालय प्रबन्धक की होगी। किसी भी भवन की आयु उसके रख-रखाव एवं अनुरक्षण पर निर्भर करती है। अतः विद्यालय प्रबन्धक को उपरोक्त भवन का अनुरक्षण मानको के अनुरूप कराना होगा। विद्यालय का निरीक्षण दिनांक-29.01.2024 को किया गया। भवन विद्यार्थियों के लिए प्रथम दृष्टया सुरक्षित, हवादार, मजबूत एवं रोशनीयुक्त है तथा निकास मार्ग उपयुक्त है। यदि भविष्य में विद्यालय द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्त विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष हेतु प्रदान किया जाता है।

  
अवर अभियन्ता  
प्रा.ख., लो.नि.वि., पीलीभीत

  
सहायक अभियन्ता  
प्रा.ख., लो.नि.वि., पीलीभीत